न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 178/2013/223 आरटीए

1. सुरेश पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
2. मंगतुराम पुत्र स्व0 रामस्वरूप जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
3. जयकरण पुत्र आदराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा (फौत)।

3/1 रेशमी पत्नी जयकरण जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

3/2 तारा पुत्री जयकरण पत्नी हवासिंह पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन पनिहार तहसील व जिला हिसार।

3/3 कलों पुत्री जयकरण पत्नी बलदेव पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन पनिहार तहसील व जिला हिसार।

3/4 बाला पुत्री जयकरण पत्नी बलदेव पुत्र रजीराम जाति जाट साकिन पनिहार तहसील व जिला हिसार।

3/5 शंकरलाल पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

3/6 प्रहलाद पुत्र जयकरण जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

4. ओमप्रकाश पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
5. भादर पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

––––अपीलान्टस

बनाम

1. सहीराम पुत्र खुमाराम (फौत)

1/1 जयकोरी पत्नी सहीराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा (फौत)

1/2 बलवीर पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/3ताराचंद पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।(फौत)

1/3/1विद्या पत्नी ताराचंद पुत्री सहीराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/3/2 रामसिंह पुत्र ताराचंद जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/3/3 रोहिताश पुत्र ताराचंद जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/4 कृष्ण पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/5 सुरेन्द्र पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/6 रणजीत पुत्र सहीराम (फौत)

1/6/1 कालू पुत्र सहीराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/6/2 सिलो पुत्री सहीराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/6/3 कौशल्या पुत्री सहीराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/7 बनवारी पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा (फौत)

1/7/1 संतोष देवी पत्नी बनवारी जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/7/2 शिलों पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/7/3 मानसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/8 चंदो पुत्री सहीराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

1/9 गुड्डी पुत्री सहीराम पुत्र खुमाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. मनीराम पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
3. केहरसिंह पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
4. चिड़िया पत्नी ईशर राम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
5. भूपसिंह पुत्र ईशर राम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
6. कमला पुत्री ईशर राम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
7. गुड्डी पुत्री ईशर राम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
8. नेतराम पुत्र ईशर राम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
9. गोरां पुत्री ईशर राम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
10. जयसिंह उर्फ रामनिवास पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
11. राजबाला पुत्री ईशरराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
12. हीरा देवी पत्नी स्व0 गोपाल जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
13. हरदत पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
14. खेता पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
15. बंताराम पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
16. गुड्डी पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
17. शारदा पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
18. लक्ष्मीनारायण पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसल भादरा (फौत)

18/1 पप्पू पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

18/2 विनोद पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

18/3 धन्नाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

18/4 बलराम पुत्र लक्ष्मीनारायण पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

19. मनीराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
20. भूपसिंह उर्फ दीपाराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
21. नत्थूराम पुत्र आदराम पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
22. मेती पत्नी स्व0 रामस्वरूप पुत्र राजूराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
23. इंद्रावती जोजा शंकर जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
24. दारावती जोजा सतवीर जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
25. मालादेवी जोजा कृष्ण जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
26. धापा देवी जोजा कुलदीप जाति जाट निवासी 8 एम एस आर तहसील भादरा।
27. रामीदेवी जोजा जयदीप जाति जाट निवासी 8 एम एस आर तहसील भादरा।
28. बाधो जोजा कालुराम जाति जाट निवासी 8 एम एस आर तहसील भादरा।
29. जुगी पत्नी स्व0 आदराम जाति जाट निवासी 8 एम एस आर तहसील भादरा।
30. श्योकोरी पत्नी मुणलाल जाति जाट निवासी अलीमोहम्मद तहसील सिरसा।
31. रामेश्वरी जोजा मनीराम जाति जाट निवासी अलीमोहम्मद तहसील सिरसा।
32. विमला जोजा दलीप जाति जाट निवीस अलीमोहम्मद तहसील सिरसा।
33. हरीसिंह पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
34. आईदान पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
35. मुंशीराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
36. दीपाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।

37. वीरसिंह पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी मुंसरी तहसील भादरा।
38. स्टेट ऑफ राज0 जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

————रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2013 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी भादरा प्र0सं0 135/2006 अनवानी सहीराम आदि बनाम जयकरण आदि।

उपस्थितः—

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री विजय कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1/4,1/6/1,1/7/2, 1/7/3,2,19,20

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 38

निर्णय दिनांक 26.04.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 20/वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया एंव अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर काउन्टर खारिज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादक संख्या 1 का निर्णय वादीगण के हक में करने का पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा होना मानते हुए किया गया है जबकि पत्रावली पर बाहमी बंटवारा प्रस्तुत नहीं हुआ है पक्षकारान के पूर्वज नन्दा,गणेशा व खमाना की दावा में अंकित भूमि ब0 हि0 ब0 प्रत्येक 1/3 हिस्सा दर्ज चली आ रही है एवं संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि है। ब्यान वादीगण में भी किसी गवाह ने पूर्व में बंटवारा होने के तथ्य को सिद्ध नहीं किया है। विवादक संख्या 5 का निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय ने यह कतई गलत अवधारणा पारित की है कि ऐसी लिखित साक्ष्य पेश नहीं कि जिससे यह सिद्ध हो सके कि वाद भूमि का पूर्व में बंटवारा नहीं हुआ जबकि ऐसी कोई नाकारात्मक लिखत कभी नहीं लिखी जाती है जमाबन्दी के अंकन को झुठलाने हेतू कोई ठोस साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुंत नहीं हुआ। अपीलान्ट ने आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उन्हें अभिलेख पर लिया जाकर अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने के कथन किये अपने कथनो के समर्थन में 1996 आर आर डी पेज 280, 1997 आर आर डी पेज 19, 1992 आर आर डी पेज 117 व 1996 आर आर डी पेज 321 प्रस्तुत किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किये कि पक्षकारान के पूर्वज नंदा,गणेशा व खमाना के समस्त भूमि 1/3–1/3–1/3 अभिलेख में दर्ज थी परन्तु इनके द्वारा भूमि का

बंटवारा अपने जीवन काल में कर लिया था जिसके समर्थन में रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में गिरदावरियां प्रस्तुत की है जिसमें घरू बंटवारा अनुसार पक्षकारान का अलग–अलग कब्जा है। खसरा न0 16 की 73 बिघा खाम खमाना पुत्र सेवा को, खसरा न0 95 की 45 बिघा भूमि में परिवर्तन होकर एवं खसरा न0 77 की 11 बिघा 10 बिस्वा व 78 की 37 बिघा 15 बिस्वा व 76 की 53 बिघा 19 बिस्वा भूमि पैमाईश हाल में खसरा न0 233 की 28 बिघा 10 बिस्वा व 232 की 24 बिघा 10 बिस्वा पुख्ता में परिवर्तित हुई और यह भूमि गणेशा पुत्र सेवा को बंटवारे में मिली एवं खसरा न0 329 की जो 83 बिघा भूमि थी वह पैमाईश हाल में खसरा न0 28 की 23 बिघा 9 बिस्वा व खसरा न0 32 की 22 बिघा 5 बिस्वा कुल 45 बिघा 14 बिस्वा में परिवर्तित हुई जो नन्दा वल्द सेवा को प्राप्त हुई परन्तु जमाबन्दी में आदू वल्द मोमन पुत्र नन्दा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 ता 19 पॉचों 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 20 ता 22 तीनो 1/6 हिस्सा कतई गलत दर्ज है। इसलिए इनका नाम कलमजन कर दावा की मद संख्या 11 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने सही रूप से निर्णय व डिक्री पारित की है जो बाहमी बंटवारा अनुसार विधिवत है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपने कथनो के समर्थन में 2003 आर आर डी पेज 20 व 1993 आर आर डी 178 पेश किये।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 38 ने अपील प्रकरण का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये जाने का कथन किया।

6. उभय पक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत करने के पश्चात आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के दो आवेदन पत्र प्रस्तुत किये है उनके साथ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा का निर्णय दिनांक 17.11.2017 एवं द्वितीय आवेदन पत्र के साथ प्रमाणित प्रति आदेशिका सहायक कलक्टर भादरा दिनांक 07.01.2002 से 20.04.2007 एवं निर्णय दिनांक 24.02.2003 व 07.11.2008 प्रस्तुत किये है उक्त दस्तावेज अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां है एवं अपील में अन्तनिहित विषयवस्तु से संबंधित है जिनका विरोध स्वरूप कोई जबाब भी प्रस्तुत नहीं हुआ है इसलिए न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दोनो आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी स्वीकार कर उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ता 20/वादीगण ने एक वाद उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रोही मुन्सरी तहसील भादरा के खसरा न0 233 की 7.208 है0 व खसरा न0 232 मिन की 2.681 है0 व 232 मिन 3.516 है0 कुल 13.405 है0 के वादीगण ने मुस्तर्का खातेदार काश्तकार होने की उदघोषणा चाही एवं भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 प्रत्येक 1/5 हिस्सा व वादीगण संख्या 4

ता 11 आठो 1/5 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 12 ता 17 छओं 1/5 हिस्सा के तथा निस्फ हिस्सा में वादीगण 18 ता 20 तीनो ब0 हि0 ब0 प्रत्येक 1/3 हिस्सा के मुश्तर्का खातेदार होने संबंधित उदघोषणा चाही एवं इसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 का इसमें हक हिस्सा नहीं होने एवं जमाबन्दी दुरूस्त कर विवादित भूमि में से आदू वल्द मोमन व प्रतिवादी 15 ता 22 का नाम कलमजन कर उक्त भूमि मद क में दर्ज अनुसार वादीगण का नाम दर्ज किये जाने की इस्तदुआ चाही एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण भी चाही गई है तथा जमाबन्दी आराजी जरई खसरा न0 28 की 5.994 है0 व 32 की 5.628 है0 कुल 11.622 है0 रोही मुन्सरी तहसील भादरा में वादीगण व प्रतिवादीगण 15 ता 22 का नाम हटाकर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 के नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया अपीलान्टस द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है एवं उसमें दावा की मद संख्या 6 में अंकित कथनो को अस्वीकार किया गया है एवं जमाबन्दी में आदू वल्द मोमन 1/3, प्रतिवादी सं. 15 से 19 का 1/6, प्रतिवादी सं. 20 से 22 का 1/6 हिस्सा सही दर्ज होना कहा है एवं शेष जमाबन्दी में हिस्सा सही दर्ज होने के कारण अच्छी मंदी के लिहाज से खाता विभाजन हेतू प्राथमिक डिक्री जारी करने की इस्तदुआ भी चाही गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने कुल 5 तनकीयात कायम करते हुए भूमि का बाहमी बटवारा पूर्व में होना मानते हुए दावा डिक्री कर काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 ता 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर एवं तनकी नम्बर 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर कायम किया एवं तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में इस आधार पर कर दिया कि पक्षकारान का कब्जा अलग–अलग है एवं बाहमी बंटवारा भी पक्षकारान के मध्य होना माना गया जबकि विवेचन में यह भी अंकित किया गया है कि पक्षकारान के पूर्वज नन्दा, गणेशा व खमाना पि0 सेवाराम का सवत् 1980,1984,1988,2000 से प्राप्त बन्दोबस्ती काश्तकारी हिस्सा ब0 हि0 ब0 1/3 हिस्सा है अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बाहमी बंटवारा संबंधित कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं वादीगण की ओर से पांच गवाहान पेश हुए है जिसमें भूपसिंह जिरह के पृष्ठ संख्या 3 पर यह कहता है कि 70–75 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका था जबकि अपनी उम्र वह ब्यान के समय 45 वर्ष बताता है इसी अनुसार पी0 डब्ल्यू टू इन्द्राज जिरह में यह कहता है कि मेरे सामने नंदा, गणेशा व खमाना का बंटवारा नहीं हुआ मुझे पता नहीं कि पक्षकारान का खाता शामिल है या अलग–अलग। पी0 डब्ल्यू 3 रावताराम भी जिरह में यह कहता है कि नंदा,गणेशा व खमाना तीनो भाईयों ने अपनी भूमि का बंटवारा कब किया व कैसे किया ध्यान नहीं। पी0 डब्ल्यू 4 अमीलाल जो 75 वर्ष का है वह भी जिरह में पूर्व में बंटवारा होने के कथन की पूष्टि नहीं करता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

7. तनकी नम्बर 5 का निर्णय करते समय विचारण न्यायालय ने यह अंकित किया है कि ऐसा कोई लिखित साक्ष्य पेश नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि वाद भूमि का पूर्व में बंटवारा नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबन्दियां एवं गिरदावरियां प्रस्तुत हुई है जिनका भी विवेचन एवं विश्लेषण समूचित रूप से अधिनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है एवं कब्जा काश्त अलग–अलग होने से पूर्व में बाहमी बटंवारा कर लिया गया हो यह नहीं माना जा सकता है इस संबंध में 1996 आर आर डी पेज 280 डी बी व 321 डी बी एवं 1997 आर आर डी पेज 19 में पारित अवधारणा हमारा मार्गदर्शक का काम करती है। रोही मुन्सरी के खसरा नम्बर 232 की 3.516 है0 भूमि खुमाना पुत्र गणेशा के वारिसान ने उपखण्डाधिकारी भादरा के निर्णय 24.02.2003 को उदघोषणा प्राप्त कर ली थी जो भी राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.09.2005 से निरस्त कर प्रकरण को उपखण्डाधिकारी भादरा को रिमाण्ड किया गया था जिससे संबंधित दस्तावेज अपीलांट ने अपील में पेश किये है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि से संबंधित वाद भी दिनांक 20.04.2007 को खारिज हो चुका था एवं उक्त खसरा 232 की 3.516 है0 भूमि पुनः मुश्तर्का खाता में दर्ज हो चुकी थी जिसकी जमाबन्दी पदर्श डी–1 अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावाली में उपलब्ध है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर भी कोई विवेचन अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी पूर्ण रूप से विवेचन किये बिना ही तनकी नम्बर 2 ता 5 का निर्णय भी गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के द्वारा पारित किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है एवं अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य है जो स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2013 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री 09.10.2013 निरस्त की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.05.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ